उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-1466/62-2-2016-2/4(33)/2015
लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई,2016

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री शैलेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, अलीगढ को, उनके पद के दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के साथ-साथ, नितांत अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, इटावा के पद का कार्यभार, अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस हेतु श्री शैलेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, अलीगढ को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त व्यवस्था शासन के अग्रिम आदेशों अथवा नियमित अधिशासी अभियंता की तैनाती होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव।

सं0-1466(1)/62-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर/अलीगढ मण्डल, अलीगढ।
4- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, अलीगढ/इटावा।
5- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, मेरठ/लखनऊ।
6- संबंधित अधिकारी।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।